



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 436/टीएल/2024

दिनांक: 21.1.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड के अधीन "आईएनएसटीएस की सौराष्ट्र - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए आईएनएसटीएस के अधीन वतामन एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन" (जिसके इसके पश्चात "पारेषण परियोजना" कहा गया है) के लिए पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक रूप से आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

पारेषण योजना: "आईएनएसटीएस की सौराष्ट्र - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए आईएनएसटीएस के अधीन वतामन एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन"

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	क्षमता / किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1.	आईएनएसटीएस की सौराष्ट्र - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए आईएनएसटीएस के अधीन वतामन एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन	765 केवी बे (संबद्ध टाई बे सहित)- 2 नंबर	31.7.2027 (नोट क. का संदर्भ लें)
कुल अनुमानित लागत:			₹.70.96 करोड़

नोट: क. सौराष्ट्र - वतामन 765 केवी लाइन को समाप्त करने के लिए वतामन एस/एस पर 02 नंबर 765 केवी लाइन बे के लिए कार्यान्वयन समय-सीमा को गेटको की आवश्यकता के साथ संरेखित किया गया है।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 6.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 436/टीएल/2024 में दिनांक 30.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोद्दिष्ट पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराष्ट्रियक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की पति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पत्र पर दिनांक 4.2.2025 तक अव्यवस्थित रूप से भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक 6.2.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव